कार्यालय अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय परिसर,
झालाना, जयपुर।

क्रमांकः एफ 9 (71) परि/अति.स.एसटीए/मु./2015/1763 जयपुर, दिनांकः 08.09.2015

विज्ञप्ति

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प./9(671) परि/ आरटीए/मु./2001/17226 दिनांक 02.09.2015 से राज्य के 476 राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी संचालकों के मंजिली यात्री वाहनों को अनुज्ञापत्र दिये जाने हेतु स्कॉप निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक तौर पर इन मार्गो में से क्रम. सं. 42, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 137 ,138, 139, 179, 183, 187, 201, 202, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 324, 325, 326, 327, 332, 342, 395 पर अंकित मार्गों पर निजी संचालकों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए जाने हेतु दिनांक 14.09.2015 से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्यालय से या विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 28.09.2015 सांय 6 बजे तक हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजो सहित निर्धारित तिथि तक कार्यालय, अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार एवं परिवहन उपायुक्त, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसर, झालाना, जयपुर में जमा करावे। इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार से एवं विभागीय वेबसाईट **www.transport.rajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

(जगदीश प्रसाद बैरवा)
अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार
एवं परिवहन उपायुक्त (मु.) जयपुर।